

तारीख हुकम

12/11/2022

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पत्रावली पर प्राप्त हो चुका है। प्रतिवादीगण के विरुद्ध पूर्व में ही एक पक्षिय कार्यवाही हो चुकी है। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को पूर्व में सुना जा चुका है। वकील वादी का कथन है कि मेरा दावा बटवारे का है जिसमें पूर्व में प्राथमिक डिक्री जारी हुई है। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। विभाजन प्रस्ताव सभी खातेदारान की उपस्थिति में बनाया गया है। प्रतिवादीगण को भी विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी कर दिया जावे। वकील वादीगण को सुनने व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने के पश्चात पाया गया कि प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.06.2022 की अनुपालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पक्षकारान/ खातेदारान के मध्य आपसी रजामन्दी के अनुसार विधिवत विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है। जिससे उभय पक्ष के हस्ताक्षर भी करवाये गये हैं। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक भू. अ./2022/5516 दिनांक 06.09.2022 द्वारा प्रस्तावितानुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के पृथक-पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीव हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(बृजेश कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

तदमा आज वास्तो इ
अधिकारी नीमकाथाना
नेव मुद्दई प्रतिवादी
वादीगण मुताबिक
2022/5516 दिनांक
जाता है तथा वादी
पृथक काबिज खातेद
में अमल दरामद हो।

खर्चा इस मुकदमे
में सलाना आज की त
दा करें।

बसख्त मेरे दस्त
को जारी की गई।



मुद्दई

म अर्जी दावा
म कालतनामा
म वजह सबूत
ताना वकील
म गवाहान
म कमिश्नर
त इजराय हुकमनामा
फरिफ

मीजान

नोट:- इस खर्चे त
ये दिलाया गया हो